

# बिहार सरकार

## कृषि विभाग

संचिका संख्या-मो० -20/15(सांख्यिकी)-  
प्रेषक,

1994

/कृ०, पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।  
(गोपालगंज को छोड़कर)

विषय : वर्ष 2014-15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु अनुदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2014-15 के रबी/गर्मा मौसम में राज्य में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से राज्य के 37 जिलों में फसलों की क्षति हुई है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु कृषि इनपुट अनुदान मद में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन को कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध करायी गयी राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना है :-

1. सहायता राशि का वितरण भारत सरकार का पत्रांक 32-7/2014- NDM-I दिनांक 08.04.2015 की कंडिका 5B के अनुसार किया जाएगा।
2. सीमान्त एवं लघु कृषकों को कृषि फसल/खड़ी फसल की 33 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति में लिए असिंचित कृषि भूमि के लिए 6800 रु०/हे० एवं सिंचित कृषि भूमि के लिए 13500 रु०/हे० तथा पैरिनियल फसल के लिए 18000 रु०/हे० की दर से अनुदान देय होगा। छोटी जमीन वाले किसी छोटे किसान को अनुदान की राशि कृषि फसल की क्षति के लिए 1000 रु० एवं पैरिनियल फसल की क्षति के लिए 2000 रु० से कम नहीं दी जाएगी।
3. लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को उपरोक्त कंडिका 5B(ii) में वर्णित दर से अधिकतम 2 हे० के लिए ही अनुदान देय होगा।
4. बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट अनुदान देय नहीं होगा।
5. जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त राशि के 90% राशि का उपावंटन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को क्षतिग्रस्त भूमि के रकवा के आधार पर किया जायेगा। शेष 10% राशि का उपावंटन व्यय के आधार पर किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राशि की निकासी करेंगे एवं उनके द्वारा इस मद की राशि हेतु पृथक रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा।
6. क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र का वास्तविक रकवा एवं कृषि विभाग के पत्रांक 1630 दिनांक 31.03.2015 एवं 1834 दिनांक 16.04.2015 के आलोक में तैयार कृषकों की सूची के अनुसार उन्हीं कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान प्रदान किया जाएगा जो राजस्व भू अभिलेख के अनुसार जोत के वैध मालिक हैं। बटाईदार की स्थिति में भू-मालिक एवं बटाईदार के बीच लिखित एकरारनामा की स्थिति में ही अनुदान राशि भू-मालिक एवं बटाईदार के बीच उसी अनुपात में वितरण किया जाएगा। इसके लिए तैयार कृषकों की सूची को हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचलाधिकारी से सत्यापन निश्चित रूप से करायी जाय।
7. सूची तैयार करने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वितरण के तीन दिन पूर्व पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति को सूची उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त समिति का गठन आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-1388 दिनांक 24 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया है जो निम्नवत है :-

1. मुखिया	अध्यक्ष
2. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	सदस्य
3. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	सदस्य
4. सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों	सदस्य
6. पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी	सदस्य सचिव

8. पंचायत राहत अनुश्रवण समिति से अनुमोदित किसानों की सूची को जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण को अवलोकनार्थ अपलोड किया जाएगा। साथ ही सूची को सम्बन्धित अंचल के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
9. पंचायत राहत अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कृषकों की संकलित सूची के अनुसार विपत्र तैयार कर कोषागार से निकासी की जाएगी। सभी किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान आर0 टी0 जी0 एस0/ एकाउंट पेयी चेक द्वारा की जायेगी। नगद भुगतान वर्जित किया जायगा। सभी कृषकों का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान मुखिया या पंचायत सेवक/जनसेवक/राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में लिया जायेगा जिनका दायित्व किसानों की पहचान करने का होगा।
10. पूरे कृषि इनपुट अनुदान वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी भी कराई जाय एवं भुगतान में बिचौलियों की भूमिका को नगण्य करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाय। इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर बेहिचक कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के तहत प्रभावित किसानों की पहचान कर अविलंब भुगतान करने की कृपा की जाय।

विश्वसभाजन

( सुधीर कुमार )

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मा० - 20/15 - 1994

दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी जिला के प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मा० - 20/15 - 1994

दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्प), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मा० - 20/15 - 1994

दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/ सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग /आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।

ज्ञापांक : मा० - 20/15 - 1994

दिनांक : 27.4.2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, कृषि, बिहार।